भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4018
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

4018. श्री दिलेश्वर कामैत :

क्या *विधि और न्याय* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय (एससी) में 1 मार्च, 2023 तक लबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर के उच्च न्यायालयों (एचसी) में 1 मार्च, 2023 तक लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों/बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : एकीकृत वाद प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में 01 मार्च, 2023 तक लंबित मामलों की संख्या 69,379 हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 01 मार्च, 2023 तक संपूर्ण देश के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए है ।

(ग) : यदयपि, न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है और केन्द्रीय सरकार की इस विषय में कोई भूमिका नहीं है । लंबित मामलों में कमी लाने के लिए न्यायपालिका सहित सभी पणधारियों के सहयोग से नीचे दिए गए ब्यौरे के रुप में कई कदम उठाए गए हैः-

i. न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रही हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, इसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख तक 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 9755.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की

संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2023 को 21,271 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2023 को 18,734 हो गई है।

ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 689 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.53 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 359 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी पणधारियों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 07..03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 887 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 646 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
27.03.2023	25,189	19522

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया समितियों की स्थापना की गई है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 843 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित

संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है।

vi.लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार ,वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के आज्ञापक पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए संशोधित किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं

पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(फरवरी तक)	1,75,98,095	30,25,724	2,06,23,819
कुल	5,58,19,604	1,95,18,262	7,53,37,866

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के

साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरुष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
ओबीसी	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
एससी	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
एसटी	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 जिसका उत्तर तारीख 24.03.2023 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

01.03.2023 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले		
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**मामलों की कुल संख्या**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1029326
2	बंबई उच्च न्यायालय	685727
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	206501
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	58576
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	252339
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	242280
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	91812
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	106391
9	गुजरात उच्च न्यायालय	161480
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	92133
11	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	44663
12	झारखंड उच्च न्यायालय	86388
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	304553
14	केरल उच्च न्यायालय	194559
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	431508
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	4942
17	मेघालय उच्च न्यायालय	1165
18	उड़ीसा उच्च न्यायालय	156570
19	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	440784
20	राजस्थान उच्च न्यायालय	642720
21	सिक्किम उच्च न्यायालय	173
22	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1366
23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	46115
24	मद्रास उच्च न्यायालय	551552
25	पटना उच्च न्यायालय	212647
कुल		**6046270**

स्रोत : - राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड (एनजेडीजी).

****